न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2112–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–6–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 551/अपील/2015–16.

सचिन दास
निवासी एम.आई.जी. 31 बी ब्लाक
बीमाकुंज परिसर, कोलार रोड, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– अनुविभागीय अधिकारी,
राजधानी परियोजना भोपाल
2– फैरी लेण्ड होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर अमित सिंह आ. राजेन्द्र सिंह
निवासी सिटी सेन्टर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री प्रमोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री रोहित श्रोती, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना वृत्त टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की

गई । साथ ही स्थगन हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 551/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 14–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–5–2016 एवं 2–6–2016 को स्थगित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व मण्डल को प्राप्त है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक की शिकायत पर नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य करने के विरूद्ध स्थगन दिया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा असत्य आधारों पर अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण में स्थगन जारी करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख मंगाये मात्र पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा बिना हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाये अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा शासकीय भूमि पर होटल का निर्माण किया जा रहा है, अतः अपर आयुक्त द्वारा स्थगन दिये जाने से शासन को हानि होगी ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाकर स्थगन दिया गया गया था, जिसे स्थगित करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, क्योंकि शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही प्रशासनिक होती है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश पारित करने में अनावेदक क्रमांक 2 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

था, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थगित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपर आयुक्त द्वारा निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य कर ली गई थी, और सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 28–5–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है । उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, और अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 14–6–16 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 50 में दिनांक 30–12–2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप आयुक्त/अपर आयुक्त को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया है, और न ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत के अपील सुनने का । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जो निरस्त किये योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–16 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर